

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं०

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र० नि०ब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र०इ०रि०सं०.....५६५...../2022 दिनांक ०५/१२/२२
(I) पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 13(1)(ई) सहपठित 13(2) एवं पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018
धाराएं 12, 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2)
(II) अधिनियम.....धाराएं - 109,120बी भा.द.सं.
(III) अधिनियम.....धाराएं.....
(IV)अन्य अधिनियम एवं धाराएं.....
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....९३.....समय.....१२:५० PM
(ब) अपराध घटने का दिन.....दिनांक.....समय.....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक.....समय.....
3. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :-
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
(ब) पता -
.....बीट संख्या.....जरायमदेही सं.
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.....
पुलिस थाना.....जिला.....
5. परिवादी / सूचनाकर्ता :- सूत्र-सूचना
(अ) नाम -
(ब) पिता / पति का नाम
(स) जन्म तिथि / वर्ष.....
(द) राष्ट्रीयता.....
(य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय.....
(ल) पता -.....
ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
1. श्री दीपक गुप्ता पुत्र स्व. श्री राधेश्याम गुप्ता, निवासी 40, चौधरी कॉलोनी, करतारपुरा, जयपुर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, जे.वी.वी.एन.एल जयपुर हाल स्थानान्तरणधीन डीग, भरतपुर
2. श्रीमती अन्जु गुप्ता पत्नि श्री दीपक गुप्ता निवासी निवासी 40, चौधरी कॉलोनी, करतारपुरा, जयपुर एवं अन्य
6. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :- कोई विलम्ब नहीं
7. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
9. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

महोदय,

सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक गुप्ता (मोबाईल नं० 9414203888, PAN No.-ACPPG7553H) पुत्र स्व. श्री राधेश्याम गुप्ता, निवासी 40, चौधरी कॉलोनी, करतारपुरा, जयपुर का रहने वाले है। संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती अन्जु गुप्ता (PAN No. - ALSPG7136J) के साथ हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं, अपनी पत्नी श्रीमती अन्जु गुप्ता तथा बच्चों के नाम से व्यावसायिक फर्म बनाकर पार्टनरशिप में संचालित किया जाना विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी के एक पुत्री सुश्री ख्वाहिश गुप्ता एवं एक पुत्र श्री सार्थक गुप्ता है, जो अध्ययनरत और अविवाहित हैं। संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र एवं पुत्री को जयपुर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से शिक्षा दिलवायी जा रही है। गोपनीय सत्यापन से संदिग्ध अधिकारी की



पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य एवं आम शोहरत आम जनता के बीच में भ्रष्ट अधिकारी के रूप में होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी को उसके पिता स्व० श्री राधेश्याम गुप्ता के स्थान पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. में अनुकम्पा नियुक्ति के रूप में नौकरी मिली है। संदिग्ध अधिकारी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1995 में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर हुई तथा वर्तमान में पदोन्नति प्राप्त कर वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय, जेवीवीएनएल के पद पर कार्यरत है। संदिग्ध अधिकारी का पदस्थापन जे.पी.डी.सी सर्किल (जे.वी.वी.एन.एल) जयपुर में रहा है तथा सितम्बर 2022 में इनका स्थानान्तरण डीग, भरतपुर में होना विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने सेवाकाल में विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण लोकेशन्स की परिसम्पत्तियों में निवेश किया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है, जिनमें प्रमुख रूप से जयपुर शहर में कई आवासीय प्लॉट्स (चित्रकूट, मानसरोवर व अन्य), व्यावसायिक होटल (मानसरोवर), व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फार्म हाऊस (माधोराजपुरा) एवं अन्य भूखण्ड (फागी, बगरू व अन्य) आदि हैं।

इसके अतिरिक्त संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने, अपनी पत्नी व बच्चों के नाम से मैसर्स के.एस डेयरी एण्ड फूड प्रोडक्ट्स, मैसर्स ख्वाहिश एन्टरप्राइजेज, मैसर्स के.एस. ओर्गेनिक, मैसर्स द ग्रिन ओशन, मैसर्स आर.एम.पी.सी. कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स आर.सी. सोलर एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड व अन्य फर्मों बनाया जाकर इनमें करोड़ों रुपये निवेश व लेन-देन व्यक्तिगत खातों में करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है साथ ही संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के बैंक ऑफ बडौदा व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के बचत खातों में भी व्यावसायिक फर्मों द्वारा लाखों रुपये ट्रांसफर किये जाना ज्ञात हुआ है।

यह भी ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती अन्जू गुप्ता मैसर्स आर.एम.पी.सी. कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड व मैसर्स आर.सी. सोलर एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी अज्ञात स्रोतों से अर्जित आय को ज्ञात स्रोत में बदलने हेतु कई फर्मों बनाकर करोड़ों रुपये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार गुप्ता एवं उसकी पत्नी श्रीमती अन्जू गुप्ता द्वारा अर्जित वैध आय, खर्च/व्यय एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

- संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार गुप्ता एवं उसकी पत्नी श्रीमती अन्जू गुप्ता द्वारा अर्जित ज्ञात स्रोतों से वैध आय :-

1. संदिग्ध अधिकारी द्वारा बैंक पीरियड (1995 से 2022)	शून्य
राज्य सेवा में आने से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियां	
2. संदिग्ध अधिकारी द्वारा बैंक पीरियड (1995 से 2022) राज्य सेवा में आने से लेकर वर्ष 2022 तक वेतन भत्तों आदि से अर्जित वैध 1,07,71,012 में से आयकर कटौती के पश्चात शुद्ध शेष आय -	91,55,361 /
3. संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती अन्जू गुप्ता की आयकर विवरणिका के अनुसार वैध अनुमानित आय -	45,00,944 /
कुल अनुमानित वैध आय	1,36,56,305 /
- संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार गुप्ता द्वारा किया गया व्यय/खर्च :-

1. संदिग्ध अधिकारी को प्राप्त वेतन, भत्तों के अनुसार वैध आय का 1/3 भाग परिवार का अनुमानित रसोई खर्च :-	30,51,787 /
2. संदिग्ध अधिकारी के पुत्र एवं पुत्री की शिक्षा पर अनुमानित व्यय-	15,00,000 /
3. बैंक पीरियड के दौरान काम में लिये गये वाहनों के ईंधन/रखरखाव/इन्श्योरेन्स पर अनुमानित खर्च -	15,00,000 /
कुल खर्चा	60,51,787 /

32

3. संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार गुप्ता एवं उसकी पत्नि श्रीमती अन्जु गुप्ता द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियां :-

क्र स	सम्पति का विवरण	धारक का नाम	सम्बन्ध	विशेष विवरण
1	प्लॉट नं0 सी-1/488 चित्रकूट योजना, सेक्टर-1 वैशाली नगर जयपुर कुल क्षेत्रफल 252.55 वर्गमीटर दिनांक -10.07.2017	श्रीमती अन्जु गुप्ता	पत्नी	संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त आवासीय प्लॉट को फेस वैल्यू 52,60,000 एवं स्टाम्प ड्यूटी 3,05,380 रूपये में क्रय कर उस पर 03 मंजिला आलिशान भवन का निर्माण कार्य करवाया गया है। जिसमें मंहगे पत्थर व वूडन का कार्य किया गया है। उक्त भवन के क्रय निर्माण, व आन्तरिक सजावट, फर्नीचर, ए.सी एवं अन्य साजो सामान आदि पर 2,00,00,000 रूपये व्यय किया गया जिस पर कुल अनुमानित व्यय- 2,55,65,380 /-रूपये
2	प्लॉट न.69/410 सेक्टर-6 जोन-69 मानसरोवर जयपुर कुल क्षेत्रफल-286.20 वर्ग मीटर में से 1/2 हिस्सा दिनांक 02.05. 2022	श्रीमती अन्जु गुप्ता	पत्नी	संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त आवासीय प्लॉट को फेस वैल्यू 24,90,000 एवं स्टाम्प ड्यूटी 1,87,050 रूपये में क्रय कर उक्त प्लॉट में संदिग्ध अधिकारी द्वारा 03 मंजिला आलिशान होटल (द ग्रिन ओशन) का निर्माण कार्य करवाया गया है। जिसमें मंहगे पत्थर व वुडन का कार्य किया गया है। उक्त होटल के निर्माण, व आन्तरिक सजावट, फर्नीचर, ए. सी एवं अन्य साजो सामान आदि पर लगभग 2,50,00,000/रू व्यय होने का अनुमान है। उक्त प्लॉट की खरीद एवं उस पर किये गये निर्माण एवं साजो सामान पर किया गया कुल अनुमानित व्यय- 2,76,77,050 /रूपये
3	प्लॉट नं05/34 एस.एफ. एस. मानसरोवर जयपुर कुल दि. 14.03.2018	श्री दीपक कुमार गुप्ता	स्वयं	संदिग्ध अधिकारी द्वारा उक्त आवासीय प्लॉट को फेस वैल्यू 26,00,000 एवं स्टाम्प ड्यूटी 1,82,300 रूपये में क्रय कर उस पर चार मंजिला आलिशान भवन



				का निर्माण कार्य करवाया गया है। जिसमें सोलर सिस्टम, मंहगे पत्थर व वूडन का कार्य किया गया है। उक्त भवन के निर्माण, व आन्तरिक सजावट, फर्नीचर एवं अन्य साजो सामान आदि पर लगभग 2,00,00,000/रू व्यय होने का अनुमान है। उक्त प्लॉट की खरीद एवं, निर्माण एवं साजो सामान पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 2,27,82,300/- रूपये
4	ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी जयपुर में कृषि भूमि खसरा न.1388/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा बारानी 3 जयपुर दिनांक 19. 04.2018	श्रीमती अन्जु गुप्ता	पत्नी	उक्त कृषि भूमि पर किया गया व्यय खसरा नम्बर 1388/1,2,3,4, खसरा नम्बर 3072/1382 व 1380/1 पर फार्म हाऊस जिसमें मंहगे पौधे, एक टीनशेड व तीन कमरों का निर्माण व लगभग 6 गायें, कंटीले तारों की चारदीवारी मय सीमेन्ट पोल के मौजूद है। जिस पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 5,47,716/- + 10,00,000 = 15,47,716/=रूपये
5	ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी जयपुर में कृषि भूमि खसरा न.1388/4 रकबा 10 बिस्वा खसरा न.3073/ 1382 रकबा 19 बिस्वा किता 2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा दिनांक 19.04.2018	श्रीमती अन्जु गुप्ता	पत्नी	उक्त कृषि भूमि पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 5,05,462/-रूपये
6	ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी जयपुर में कृषि भूमि खसरा न. 1382/3 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा बारानी 3 दिनांक 19.04.2018	श्रीमती अन्जु गुप्ता	पत्नी	उक्त कृषि भूमि पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 4,83,316/- रूपये
7	ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी जयपुर में कृषि भूमि खसरा	श्रीमती अन्जु गुप्ता	पत्नी	उक्त कृषि भूमि पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 5,47,726/- रूपये

	न.1388/3 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा बारानी 3 दि0 19.04.2018			
8	ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी जयपुर में कृषि भूमि खसरा न. 1388/1 रकबा 15 बिस्वा बारानी 3 व खसरा न.1389/2 रकबा 14 बिस्वा बारानी 3 किता 2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा दिनांक 19.04.2018	श्रीमती अन्जु गुप्ता	पत्नी	उक्त कृषि भूमि पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 5,47,726/- रुपये
9	ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी जयपुर में कृषि भूमि खसरा न. 3072/ 1382 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा बारानी 3 दिनांक 19. 04.2018	श्रीमती अन्जु गुप्ता	पत्नी	उक्त कृषि भूमि पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 7,99,722/- रुपये
10	ग्राम माधोराजपुरा तहसील माधोराजपुरा जयपुर में कृषि भूमि खसरा न.1380/1 रकबा 0.5311 हैक्टेयर बारानी 3 दि.27.04.2022	श्रीमती अन्जु गुप्ता	पत्नी	उक्त कृषि भूमि पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 7,78,073/- रुपये
11	ग्राम दतुली तहसील फागी जयपुर में कृषि भूमि खसरा न.1226/ 1122 रकबा 0.6323 हैक्टेयर दिनांक 05.08. 2020	श्रीमती अन्जु गुप्ता	पत्नी	उक्त कृषि भूमि पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 11,08,562/- रुपये
12	ग्राम दतुली तहसील फागी जयपुर में कृषि भूमि खसरा न.1250 /1122 रकबा 0.6323 हैक्टेयर दिनांक 30.12. 2021	श्रीमती अन्जु गुप्ता	पत्नी	उक्त कृषि भूमि पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 11,08,562/- रुपये
13	ग्राम माधोराजपुरा तहसील फागी जयपुर में कृषिभूमि खसरा न.	श्रीमती अन्जु गुप्ता	पत्नी	उक्त कृषि भूमि क्रय करने पर फेस वैल्यू 4,41,000 स्टाम्प ड्यूटी 42,758 एवं जिसमें कंटीले तारों

2

	3146/1399 रकबा 0. 3667 हैक्टेयर दिनांक 10.06.2020			की चारदीवारी पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 4,83,758/- + 1,50,000 = 6,33,758/-रूपये
14	ग्राम हरसुलिया तहसील फागी जयपुर में कृषि भूमि खसरा न.1233/ 943 रकबा 2 बीघा का हिस्सा 1/2 अर्थात 1 बीघा दिनांक 25.03. 2019	श्रीमती अन्जु गुप्ता	पत्नी	उक्त कृषि भूमि क्रय करने पर 11,00,000/-रूपये फेस वैल्यू एवं 64,100 रूपये स्टाम्प ड्यूटी एवं उस पर की गई बाउण्ड्रीवाल पर किया गया व्यय 5,00,000/-रूपये कुल अनुमानित व्यय 11,64,100 + 5,00,000 = 16,64,100/-रूपये
15	ग्राम माधेराजपुरा तहसील फागी जयपुर में कृषि भूमि खसरा न.3074/1399 रकबा 0. 3667 हैक्टेयर बारानी 3 अर्थात 1 बीघा 9 बिस्वा दि.10.6.20	श्रीमती अन्जु गुप्ता	पत्नी	उक्त कृषि भूमि क्रय 4,41,000/-रूपये फेस वैल्यू एवं 42,758 रूपये स्टाम्प ड्यूटी एवं करने पर फेस एवं जिसमें कंटीले तारों की चारदीवारी पर किया गया 1,50,000/- कुल अनुमानित व्यय 4,83,758/- + 1,50,000 = 6,33,758/-रूपये
16	आवासीय योजना गोपाल विहार भूखण्ड नम्बर 30 गांव बगरूकलां तहसील सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 319.86 वर्गगज अर्थात 267.54 वर्गमीटर दिनांक 04.06.2014	श्रीमती अन्जु गुप्ता	पत्नी	उक्त कृषि भूमि क्रय करने पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 4,00,670/- रूपये
17	एक दुपहिया वाहन होण्डा एक्टिवा स्कूटर नं. RJ14-DJ-9872	श्रीमती अन्जु गुप्ता	पत्नि	उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन संदिग्ध अधिकारी की पत्नि के नाम से है। जिसको क्रय करने पर किया गया कुल अनुमानित 44,434/- रूपये
18	एक दोपहिया वाहन हीरो होण्डा पैशन मोटर साईकिल नम्बर RJ14- ZM-9493	श्री दीपक गुप्ता	स्वयं	उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन संदिग्ध अधिकारी के स्वयं के नाम पर है। जिसको क्रय करने पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 43,484/-रूपये
19	एक दोपहिया वाहन हीरो होण्डा पैशन प्लस मोटर साईकिल नम्बर RJ14-SP-7130	श्री दीपक गुप्ता	स्वयं	उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन संदिग्ध अधिकारी के स्वयं के नाम पर है। जिसको क्रय करने पर किया

				गया कुल अनुमानित व्यय 42,653/-रूपये
20	एक चौपहिया वाहन शेवरले बीट नं.RJ14-CL-1124	दीपक गुप्ता	स्वयं	उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन संदिग्ध अधिकारी के स्वयं के नाम है। जिसको क्रय करने पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 3,73,000/-रूपये है।
21	एक चौपहिया वाहन होण्डा सिटी नं.RJ45-CP-3278	कानाराम चोपडा	बेनामी	उक्त वाहन को संदिग्ध अधिकारी द्वारा बेनामी नाम से लिया गया है जिसको स्वयं के द्वारा काम में लिया जा रहा है। उक्त वाहन क्रय करने पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 16,00,000/-रूपये
21	एक टैफे लिमिटेड ट्रैक्टर नं. RJ14-RE-3645	श्रीमती अन्जू गुप्ता	पति	उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन संदिग्ध अधिकारी की पति के नाम है। जिस पर ए.यू स्मॉल बैंक से 4 लाख रूपये का ऋण लिया गया है तथा 2 लाख रूपये का डाउन पेमेन्ट किया गया है। जिसकी 65,000/-रूपये की मासिक किश्त है तथा अभी तक एक किश्त का ही भुगतान किया गया है। 2,00,000 + 65,000 = उक्त वाहन पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 2,65,000/-रूपये
22	बैंक ऑफ बडौदा खाता संख्या 33920100000629	श्री दीपक गुप्ता	स्वयं	दिनांक 18.11.2022 को 4266/-रूपये शेष है।
23	पंजाब नेशन बैंक खाता संख्या 1666010037068	श्री दीपक गुप्ता	स्वयं	दिनांक 17.11.2022 को 11,36,917/-रूपये शेष है उक्त खाते में संदिग्ध द्वारा बैंक लॉकर भी लिया हुआ है।
24	एसबीआई वेतन बचत खाता संख्या 61008602196	श्री दीपक गुप्ता	स्वयं	दिनांक 17.11.2022 को 22,52,293/-रूपये शेष है।
25	एसबीआई पीपीएफ खाता संख्या 00000032219437694	श्री दीपक गुप्ता	स्वयं	दिनांक 22.11.2022 को 9,86,404/-रूपये शेष है।




26	बैंक ऑफ बडौदा खाता संख्या 2522010 0009272	श्रीमती अन्जू गुप्ता	पति	दिनांक 18.11.2022 को 2,73,609/-रूपये शेष है।
27	एस.बी.आई खाता संख्या 38358296793	श्रीमती अन्जू गुप्ता	पति	दिनांक 22.11.2022 को 25,73,115/-रूपये शेष है।
28	ए.यू.स्मॉल बैंक (HUF) खाता संख्या 2221259000203888	श्री दीपक गुप्ता	स्वयं	दिनांक 24.11.2022 को 6,06,332/-रूपये शेष है।
29	संदिग्ध अधिकारी द्वारा मैसर्स के.एस.डेयरी एण्ड फूड प्रोडक्ट्स, फागी, जयपुर नाम से फर्म खोल रखी है जिसका (HUF) ए.यू. स्मॉल बैंक खाता संख्या 2121221831751892 PANNo.AAKHD9928A	श्री दीपक गुप्ता	स्वयं	संदिग्ध अधिकारी द्वारा मैसर्स के. एस.डेयरी एण्ड फूड प्रोडक्ट्स, फागी, जयपुर नाम से फर्म खोल रखी है जिसका (HUF) ए.यू. स्मॉल बैंक खाता संख्या 21212 21831751892 में दिनांक 22.11. 2022 को 93,38,531/-रूपये शेष है।
30	संदिग्ध अधिकारी की पति अन्जू गुप्ता द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री ख्वाहिश गुप्ता के नाम से मैसर्स ख्वाहिश एन्टर प्राइजेज फर्म खोल रखी है जिसका एक्सिस बैंक खाता संख्या 9210 20019948940	श्रीमती अन्जू गुप्ता	पति	संदिग्ध अधिकारी द्वारा मैसर्स ख्वाहिश एन्टरप्राइजेज नाम से फर्म खोल रखी है जिसका एक्सिस बैंक खाता संख्या 9210 20019 948940 में दिनांक 17.11.2022 को 39,24,260/-रूपये शेष है।
31	मैसर्स ग्रिन ओशन होटल के नाम से ए.यू. स्मॉल बैंक में खाता संख्या 2221259068786786	श्रीमती अन्जू गुप्ता	पति	उक्त खाते में दिनांक 22.11.2022 को 2,40,128/- रूपये शेष है।
32	मैसर्स ख्वाहिश एन्टर प्राइजेज के नाम से ए. यू.स्मॉल बैंक में चालू खाता सं.2221259078 688888	श्रीमती अन्जू गुप्ता	पति	उक्त खाते में दिनांक 22.11.2022 को 2,00,000/-रूपये शेष है।
33	मैसर्स ख्वाहिश एन्टर प्राइजेज के नाम से ए. यू.स्मॉल बैंक में चालू खाता सं.2021221826 653437	श्रीमती अन्जू गुप्ता	पति	उक्त खाते में दिनांक 22.11.2022 को 19,274/- रूपये शेष है।
			कुल योग	11,07,07,581/-रूपये




इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार गुप्ता एवं इनकी पत्नी श्रीमती अन्जु गुप्ता के नाम से अर्जित की गई परिसम्पत्तियों पर व्यय एवं पुत्र, पुत्री की शिक्षा एवं वाहनो के रख रखाव पर खर्च में से दोनो पति पत्नी द्वारा अर्जित वैध आय को घटाने पर कुल 11,67,59,368 - 1,36,56,305 = 10,31,03,063/रूपये (अक्षरे दस करोड इकत्तीस लाख तीन हजार तिरेसठ रूपये) की परिसम्पतियां वैध आय से अधिक अर्जित करनाए पाया गया है जो आनुपातिक रूप से वैध आय से लगभग 754.98 प्रतिशत अधिक है।

अतः संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक कुमार गुप्ता एवं इनकी पत्नी श्रीमती अन्जु गुप्ता के विरुद्ध ज्ञात वैध आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(ई)सपठित धारा 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12,13(1)(बी) सपठित धारा 13(2)पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 एवं धारा 109,120बी भा.द.सं.के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है। संदिग्धों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उनके निम्न ठिकानों (1.) सी-1/488, चित्रकूट योजना सैक्टर-1, वैशाली नगर, जयपुर (2) प्लॉट नं. 5/34, एस.एफ.एस. मानसरोवर जयपुर (3) प्लॉट नं. 69/410, सैक्टर-6, जोन-69, मानसरोवर, जयपुर (द ग्रिन ओशन होटल) (4) प्लॉट नं. 40, चौधरी कॉलोनी, करतारपुर, जयपुर (5) कार्यालय कक्ष श्री दीपक गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय, जे.पी.डी.सी. जे.वी.वी.एन.एल, जयपुर की तलाशी लेना आवश्यक है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।


पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
(इन्टे.) जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (इन्टे.) जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1)(ई) सपठित धारा 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं धारा 12,13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 एवं 109, 120बी भा.द.सं. में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त 1. श्री दीपक कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-II, (जे.पी.डी.सी) जे.वी.वी.एन.एल, जयपुर हाल स्थानान्तरणाधीन डीग, भरतपुर 2. श्रीमती अन्जू गुप्ता पत्नी श्री दीपक कुमार गुप्ता के विरुद्ध अपराध संख्या 465/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर तफतीश श्री ललित शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.डब्लू, जयपुर के सुपुर्द की गई ।



5.12.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांक:- 3986-91

दिनांक :-05.12.2022

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज0 जयपुर
3. श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर
4. श्रीमान प्रबन्ध निदेशक, ऊर्जा विभाग, राज. जयपुर।
5. श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
6. श्री ललित शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, एस.आई.डब्लू, जयपुर।


5.12.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर